नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
जारी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 102/2018

1. रमेश पुत्र दुर्गालाल जाति स्वर्णकार, निवासी कोटे तहसील व जिला करौली, हाल वासी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांटान

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति स्वर्णकार निवासी कोटे हाल नया बाजार पहलवान के कटले के सामने, गंगापुर, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र दुर्गालाल, जाति स्वर्णकार निवासी कोटे हाल निवासी बैध कॉलोनी, गंगापुर, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।
3. सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप
4. ओम प्रकाश पुत्र रामस्वरूप
5. राधामोहन पुत्र रामस्वरूप
6. अशोक पुत्र रामस्वरूप, जाति स्वर्णकार, निवासी एस.बी.बी.जे. गली महाराजा कॉजेज उदेई मोड गंगापुर सिटी, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली।

रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर करौली
मु0न0 33/2014 निर्णय दिनांक 15.09.2017)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री नवल किशोर शर्मा
2. रेस्पोडेटान की ओर से श्री रामजी लाल अग्रवाल

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

13.2.20

अधिकारी
माधोपुर

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 33/2014 निर्णय दिनांक 15.09.2017 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा बरानी 1 वाके ग्राम कंवरपुर पटवार क्षेत्र कोटा तहसील व जिला करौली व आराजी खसरा नम्बर 659 रकबा 15 बिस्वा बारानी वाके ग्राम कोटा मामचारी पटवार क्षेत्र कोटा तहसील व जिला करौली में सायल व गैरसायल सं0 1 ता 6 के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है जो आराजीयात सायल एवं गैरसायलान को अपने पूर्वज दुर्गा पुत्र किशन लाल सुनार से बिरासत में प्राप्त हुई है। सायल एवं गैरसायल सं0 1 रामजीलाल गैरसायल सं0 2 लक्ष्मीनारायण एवं गैरसायल सं0 3 ता 6 का पिता रामस्वरूप खास भाई है। रामस्वरूप फौत हो चुका है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 616 व 659 में सायल एवं गैरसायल सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है तथा गैरसायल सं0 3 ता 6 का

Scanned by CamScanner

1/4 हिस्सा है। सायल व गैरसायल के पूर्वज दुर्गा की मृत्यु होने पर विवादित आराजीयात की बिरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा सायल एवं गैरसायल सं0 1 व 2 तथा गैरसायल सं0 3 ता. 6 के पिता रामस्वरूप के हक में भरा गया और बिरासत के आधार पर सायल एवं गैरसायल सं0 1 व 2 तथा रामस्वरूप के नाम खातेदारी नामा0 सं0 483 के द्वारा स्वीकार कर सम्वत 2043 से 2046 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड कर दी गई। विवादित आराजीयात में आठ आम के पेड लगे हुए है तथा सभी पक्षकारान मुताविक हिस्सा आराजीयात की फसल का एवं आम के पेडो के फलों का लाभ प्राप्त करते आये है। सभी पक्षकारान वर्तमान में गंगापुर सिटी रहते है और समय–समय पर आराजीयात को संभालने गांव आते रहते है। माह जुलाई 2014 में गैरसायल सं0 3 ता. 6 के पिता रामस्वरूप की मृत्यु हो गई जिसके मृत्यु संस्कार पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 17.07.2017 को सायल ने गैरसायल सं0 1 ता 6 से विवादित आराजीयात को शामलात में जुतवाने के लिए कहा तो सभी गैरसायलान ने सायल से कहा कि विवादित आराजीयात को तुम्हे नहीं जोतने देगे ना ही फसल का लाभ तुम्हे प्राप्त करने देगे। गैरसायल की उक्त बात सुनकर जमाबंदी की नकल निकलावाई जिसे देखने पर ज्ञात हुआ कि जमाबंदी में सायल का नाम दर्ज नहीं है। पटवार हल्का से जानकारी लेने पर बताया कि पिता दुर्गा की मृत्यु पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामा0 दुर्गा के पुत्र रामस्वरूप, रामजीलाल, लक्ष्मीनारायण एवं सायल रमेश के नाम भरा गया किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत ने नामा0 सं0 483 केवल रामस्वरूप, रामजीलाल, एवं लक्ष्मीनारायण के नाम ही स्वीकार किया इस कारण जमाबंदी में उक्त तीनों के नाम ही खाता दर्ज किया गया है और सायल का नाम जमाबंदी से काट दिया गया है। विवादित अराजीयात सायल को अपने पिता दुर्गा से बिरासत में प्राप्त हुई है और मुताविक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम सायलका विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है। ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 सं0 483 में सायल का नाम गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से छोडा गया है। सायल नकल जमाबंदी व नामा0 लेकर गैरसायल सं0 1 ता 6 से मिला और विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में सायल के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज कराने के लिए कहा तो गैरसायल ने साफ इन्कार हो गये और गैरसायल ने सायल से ऐलानिया कहा कि हम विवादित आराजीयात की फसल व आराजीयात में स्थित आम के पेडो से कोई लाभ प्राप्त नहीं करने देगे तथा अपने खातेदारी इन्द्राज का लाभ उठाकर विवादित आराजीयात को दीगर ताकतवर व्यक्ति को विक्रय करके तुम्हे आराजीयात से बंचित कर देगे यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायल के खातेदारी अधिकारो का हनन होगा और सायल अपनी पैतृक आराजीयात से बंचित हो जायेगा जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इस कारण सायल गैरसायल को इस आशय के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि गैरसायलान विवादित

आराजीयात में सायल के हिस्सा 1/4 तक सायल के शामलाती कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नही करे तथा विवादित आराजीयात में स्थित आम के पेडो को खुर्द बुर्द नहीं करे। सायल के कब्जे काश्त मे उपयोग उपभोग भूमि मे किसी प्रकार की दखलंदाजी गैरसायल नही डाले न ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायल द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना है कि विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 के पूर्वज दुर्गा की खातेदारी की रही है। अपीलांट दुर्गा का पुत्र है तथा सरपंच ने अपने निर्णय मे इस बात की कोई पुष्टि नही की है कि अपीलांट का नाम क्यो हटाया गया है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ऐसा सारवान प्रश्न रखा है जिसका निर्णय साक्ष्य के उपरान्त मूल दावा मे किया जा सकता है। अपीलांट दुर्गा का पुत्र होने के नाते अपीलांट का प्राईमाफेसी केस वाखुबी साबित है। विवादित आराजीयात पैतृक व शामलाती होने से सुविधा का संतुलन व अपूरनीय क्षति अपीलांट के पक्ष मे साबित है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति की अनदेखी कर रेस्पो0 संख्या 2 ता 6 के जबाब को आधार मानकर और यह लिखते हुए कि प्रार्थना पत्र करीब 25 वर्ष बाद पेश किया है जिससे यह विदित होता है कि सायल द्वारा हकीकत बाते नही बताई है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह निष्कर्ष दिया है कि खातेदारी वर्तमान मे गैरसायलान के नाम है इस कारण भी सायल का कब्जा माना जाता है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतः 'विधि विरूद्व और मनमानी है। निर्णय से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के उद्वेश्य एवं विधि के सिद्वान्तो की अनदेखी करत हुए निर्णय पारित किया है। इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर इस तरह से मूल दावा का ही निस्तारण कर दिया है और अपीलांट का दुर्गा का पुत्र होने के बावजूद

Scanned by CamScanner

बंटवारा की कोई साक्ष्य रिकार्ड नही होने के बाबजूद अपीलांट का प्राईमाफेसी केस साबित नही माना है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध है और अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अपीलाट के अधिवक्ता की गैर मोजूदगी मे ये आर्डरशीट पर पारित किया है। और गलत तरीके से बकुलाए की बहस सुना जाना निर्णय मे अंकित किया है। यदि वास्तव मे उक्त निर्णय बकुलाए की बहस के पश्चात पारित किया जाता तो उनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर आदेशिका पर कराये जाते उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता को नही रही है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी प्रथमवार दिनांक 19.07.2018 को उस समय हुई जब अपीलांट दावा में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हुआ तब अपीलांट अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में बहस हेतु निवेदन किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह जानकारी दी गई कि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2017 को ही खारिज कर दिया गया है उसी दिवस उक्त निर्णय की नकल के लिए आवेदन कर दिया नकल दिनांक 08.08.2018 को उपलब्ध कराई गई है। इस कारण जानकारी होने व नकल मिलने के दिवस से अपील अंदर मियाद पेश की गई है। अपील को पेश करने में हुये डिले को डिले कण्डोन फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा बरानी 1 वाके ग्राम कंवर पटवार क्षेत्र कोटा तहसील व जिला करौली व आराजी खसरा नम्बर 659 रकबा 15 बिस्वा बारानी वाके ग्राम कोटा मामचारी पटवार क्षेत्र कोटा तहसील व जिला करौली में स्थित है। वादी अपना हिस्सा मुताबिक पारिवारिक समझौत 1/4 हिस्से से अधिक जमीन पर ग्राम श्योरोली जिला सवाई माधोपुर में स्थित पर काबिज है। इसलिए पारिवारिक समझौता के विरोध में जमीन का बटवारा विवादित खसरा नम्बर 616 व 659 में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जबकि रेस्पो0 बतौर हक के काबिज है। सायल ने जो सजरा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया है वह गलत पेश किया है। क्योकि दुर्गा के लडकिया और है जो दावे में आवश्यक पक्षकार है। उनके अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। दुर्गा लाल की चार लडकिया कटोरीदेवी, मिश्रीदेवी, प्रेम, प्रागदेवी है जिनमे कटोरी देवी का स्वर्गवास हो गया उनके परसोतम व मुरारी दो लडके जीवित मौजूद है जो आवश्यक पक्षकार है। सायल द्वारा जो सजरा अधिनस्थ न्यायालय पेश किया है उसमे रामस्वरूप की लडकियो और दुर्गा की लडकियो को छिपाया है। जो आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। खसरा न0 616, 659 मे 1/4 हिस्सा होने का प्रश्न नही है। रामस्वरूप मृतक के एक लडकी लाडबाई जीवित मौजूद है जो आवश्यक पक्षकार है। राजस्व केम्प के मजमे आम मे सायल/अपीलांट ने

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया कि आराजी ख0न0 616 व 659 वाके ग्राम कोटा मे अपना हिस्सा नही लेना चाहता है। क्योकि मेरे पास सेबा श्यारोली मे शामलाती खरीद शुदा जायजाद पर पूरा काबिज हूँ। इसी प्रकार ग्राम माहोली की जमीन पर काबिज हूँ। यही नही यह भी मौखिक रूप से स्वीकार किया है उक्त दोनो स्थानो पर मेरे हिस्से से अधिक अधिक जमीन मेरे पास रहेगी तो मै तीना भाईयो को बराबर बराबर देकर बयनामा करा दूगा। इसी बयनामे को कहने के कारण सायल अपने बयानो से मुकर रहा है। केवल पेपर एन्ट्री के आधार पर झूठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि सायल ग्राम सेवे श्यारोली व महोली की जमीनो मे से उसके हिस्स से अधिक जमीन का बयनामा दुर्गालाल के दीगर वारिसान को करा देगा तो हम विवादित जमीन मे से उसको दुर्गालाल की जीवित लडकी व मुसः कटोरी जो फौत हो चुकी है उसके वारिसान को उनका हिस्सा देने के बाद जो भी हिस्सा शेष रहेगा हम देने को तैयार है। विवादित आराजीयात को रेस्पो0 द्वारा ही सार संभाल की जाती है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात को दुर्गालाल के फौत होने के पश्चात आज तक काश्त नही किया है। अपीलांट का विवादित आराजीयात से कोई संबंध वास्ता नही है। जो पारिवारिक समझौते से स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला जज करौली मे मु0न0 76/06 उनवानी रामस्वरूप बनाम रामजीलाल मे कोई उज्र नही उठाया है। नामा0 संख्या 48 स्वयं अपीलांट/सायल ने मौखिक रूप से अपना हिस्सा क्लेम नही किया है। इस नामा0 की सायल/अपीलांट द्वारा कोई अपील नही की गई है। अपीलांट द्वारा करीब 25 वर्ष पश्चात अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ठोस साक्ष्य सबूत अपनी साक्ष्य मे पेश नही करने एवं विधिक रूप से रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड होने की पुष्टि कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 वाके ग्राम कंवरपुर जिला करौली के खतौनी सं0 421 में खसरा नम्बर 616 रामस्वरूप, रामजीलाल, लक्ष्मीनारायण सुनार सा. कोटा अंकित है व राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2067–70 वाके ग्राम मामचारी जिला करौली के खतौनी सं0 421 में खसरा नम्बर 659 पर रामस्वरूप, रामजीलाल, लक्ष्मीनारायण पिसरान दुर्गा सुनार सा0 देह अंकित है। विचाराधीन अपील में सभी पक्षकार एक ही परिवार से है। इनके मध्य पारिवारिक समझौता (विभाजन) व ग्राम श्यारोली में अन्य जमीन स्थित होने का कथन रेस्पो0 द्वारा अपने जवाब दावा प्रार्थना पत्र में किया है। बहस के दौरान प्रस्तुत नकल जमाबंदी बाके ग्राम श्यारोली तहसील बजीरपुर के खसरा नम्बर 3102, 3103, 3106 व 3107 रमेशचन्द

Scanned by CamScanner

पुत्र दुर्गालाल हिस्सा 1/2 जाति सुनार अंकित है। पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन जिसमें इन बिन्दुओं को तय किया जाना शेष है। राजस्व रिकार्ड में अंकन रेस्पो0 के हक में होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रकट नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में विधिक दृष्टि से किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टव्य नहीं होती है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत् नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली के मु0न0 33/2014 निर्णय दिनांक 15.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13.2.20

राजस्व अपील अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.26 15:09:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: